न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–पीयुष सामारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0 पत्र सं0 33/2010 आवंटन नियम 14(4)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

मूलचंद पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी सर तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 22.12.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.1989 को ग्राम सर तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0नं0 502/516/529 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम हापावास द्वारा अप्रार्थी मूलचंद पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी सर को दिनांक 31.05.1989 को ग्राम सर तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0नं0 502/516/529 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 31.05.1989 को ग्राम सर स्थित भूमि खसरा नंबर 502/516/10मिन में से 0.50है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 2065 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अतः आवंटन सलाहकार समिति मुकाम हापावास द्वारा दिनांक

31.05.1989 को अप्रार्थी मूलचंद पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी सर को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम हापावास की बैठक दिनांक 31.05.1989 द्वारा ग्राम सर में अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) नांगल राजावतान को एवं निर्णय की एक प्रति तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official